नई दिल्ली, 2 मार्च, 1990

सा.का.नि. 213.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 12 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"प्रोन्नतियां इन नियमों के परिशिष्ट 1 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार की जाएंगी ।"

[सं. 3/17/89-एस. IV(ग)/बी. (डी.)]

पी.एम. राजू, अवर सचिव

पाद टिप्पण—आकाशवाणी (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1964, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1776, तारीख 30 नवम्बर, 1964 द्वारा प्रख्यापित किए गए थे । तत्पश्चात् भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 704/11/77-बी. (डी.), तारीख 10 मई, 1979 के अधीन सा.का.नि. 762, तारीख 2 जून, 1979 के साथ उनका अंशतः अधिक्रमण किया गया और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 704/11/77-बी. (डी.), तारीख 7 फरवरी, 1981 के अधीन उनका संशोधन किया गया और सं. 310/10/82-बी. (डी.), तारीख 7 मई 1985 के अधीन उनका और संशोधन किया गया तथा सं० 310/10/82-बी (डी) तारीख 18 अगस्त, 1986 के अधीन उनका पुन. संशोधन किया गया । उनका अधिसूचना सं. 310/10/82-बी. (डी.), तारीख 11-3-1987, अधिसूचना सं. 3/45/88-एस. आई.वी.ए./बी.(डी.), तारीख 22-6-1989 अधिसूचना 10/46/89- बी (डी), तारीख 29-1-90 द्वारा और संशोधन किया गया

परिशिष्ट 1

(अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 का स्तंभ 12)

1. प्रोन्नतियां, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त उच्चतम अंकों के कुल अंकों और सेवा-अभिलेख के निर्धारण के अनुसार क्रमबद्ध अभ्यर्थियों के नामों के पैनल से की जाएंगी ।

2. लिखित प्रश्नपत्रों और सेवा अभिलेख के लिए अधिकतम अंकों का अनुपात 7 : 3 होगा ।

New Delhi, the 2nd March, 1990

G.S.R. 213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1979, against serial No. 1 relating to the post of Engineering Assistant in Column 12, the following shall be added in the end namely :—

"The promotions shall be made in accordance with the provisions laid down in the Appendix I to these rules."

[No. 3/17/89-S. IV(A)/B(D)]

P. M. RAJU, Under Secy.

Footnote :

All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964 were promulgated vide Ministry of Information and Broadcasting Notification No. GSR 1776 dated 30th November, 1964. Subsequently superseded partially under the Notification of the Government of India, in the Ministry of I&B No. 704/11/77-B(D) dated 10th May, 1979 with GSR 762 dated 2nd June, 1979 and amended under the Notification of the Government of India in the Ministry of I&B No. 704/11/77-B(D) dated 7th February, 1981 and further amended under No. 310/10/82-B(D) dated 7th May, 1985, and again amended under No. 310/10/82-B(D) dated 18th August, 1986. Further amended vide Notification No. 310/10/82-B(D) dated 11-3-87, Notification No. 3/45/88-SIV A/B(D) dated 22-6-89 and Notification No. 310/46/89-B(D) dated 29-1-1990.

APPENDIX I

(Column 12 of Serial No. 1 of the Schedule)

1. The promotions shall be made from a panel containing the names of candidates arranged according to the sum total of highest marks obtained in the Limited Departmental Competitive Examination and in the assessment of the service records.

2. The maximum marks for the written paper(s) and for the service records will be in the ratio of 7:3.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1990

सा.का.नि. 214 :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1978 को जहां तक उनका संबंध पुस्तकालय परिचर चौकीदार, झाड़कश-सह-फराश और माली के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में कुछ समूह "घ" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे ,जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 14 में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है ।

5. निरर्हताएं वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।